



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्नरोड) कोलकाता 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

12(17)/एलसी/2008/पार्ट-III/ 13744

दिनांक: 28.03.2022

परिपत्र

यह इस कार्यालय के परिपत्र संदर्भ संख्या 12(17)/एलसी/2008/भाग-III दिनांक 4 जनवरी, 2022 के क्रम में नई चाय विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के चाय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए नई त्वरित योजना दिशानिर्देशों के तहत जारी है।

इस संदर्भ में, बोर्ड द्वारा यह देखा गया है कि नए चाय फैक्ट्री की स्थापना/मौजूदा चाय इकाइयों की क्षमता में वृद्धि के लिए ऑनलाइन माध्यम से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जहां एस्टेट कारखानों में बाहर से 51% से अधिक पत्ते की खरीद पाई जाती है। चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (टीएमसीओ, 2003) के अनुसार, बॉट लीफ चाय फैक्ट्री का अर्थ एक चाय का कारखाना है जो किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान अन्य चाय उत्पादकों से चाय की पत्ती की आवश्यकता का इक्यावन प्रतिशत से कम का स्रोत नहीं है। इसलिए, ये कारखाने हालांकि एस्टेट के भीतर स्थित हैं, परिभाषा के अनुसार बीएलएफ श्रेणी के दायरे में आते हैं क्योंकि उनकी हरी पत्ती की अधिकांश खरीद छोटे उत्पादकों से होती है।

28 जनवरी, 2022 को आयोजित लाइसेंसिंग समिति (उत्तर और दक्षिण) की बैठक में एवं 2 फरवरी, 2022 को असम के काजीरंगा में आयोजित बोर्ड की बैठक में यह विषय भेजा गया था। बोर्ड के माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है कि यदि किसी एस्टेट फैक्ट्री की हरी पत्तियों की आउटसोर्सिंग 51% एवं उससे अधिक पाई जाती है, तो उक्त कारखाने को बॉट लीफ फैक्ट्री के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाना चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने बाहर से 51 प्रतिशत से अधिक चाय पत्ती की खरीद करने वाले एस्टेट फैक्ट्रियों को बॉट लीफ कारखाने के रूप में लागू होने के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।

कृपया इसे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी पंजीकृत सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1. अखिल भारतीय सर्व उत्पादक संघ
2. सर्व क्रेता संघ
3. सभी ब्रोकर
4. सभी नीलामी आयोजक
5. निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड
6. कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी
7. कार्यपालक निदेशक, कून्नूर
8. उनिचावि, सिलिगुड़ी व जलपाईगुड़ी
9. प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आवश्यक कार्रवाई हेतु